



एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एम.सीआर.सी.(ए) संख्या 469 वर्ष 2020

आदेश आरक्षित दिनांक : 14.7.2020

आदेश पारित किया गया : 14.8.2020

अनिल टुटेजा, पुत्र स्वर्गीय श्री एच.एल. टुटेजा, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी क्षेत्रीय कार्यालय के पास, भारतीय स्टेट बैंक, बैरन बाजार, पी.एस. सिविल लाइन्स, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

--- - आवेदक

बनाम

1. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003
2. विशेष निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, मध्य क्षेत्र, दिल्ली एमटीएनएल बिल्डिंग, प्रथम व द्वितीय तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली – 110002
3. संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, पीजेजेडओ, जीवन विश्वास बिल्डिंग, प्रथम और द्वितीय तल, ई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स, पट्टो प्लाजा, पणजी, गोवा – 403001
4. उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय, ए-1 ब्लॉक, पुजारी कॉम्प्लेक्स, न्यू धमतरी रोड, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़
5. सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, कमरा नं.17, 10 ए, जाम नगर हाउस, अकबर रोड, नई दिल्ली, 110001

----- उत्तरदातागण

और



एम.सीआर.सी.(ए) संख्या 484 वर्ष 2020

आलोक शुक्ला, पुत्र स्वर्गीय श्री टी.सी. शुक्ला, आयु 59 वर्ष, निवासी सी-1/4, ऑफिसर्स कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के प्रधान सचिव के पद पर पदस्थ हैं।

----- आवेदक

बनाम

1. प्रवर्तन निदेशालय, निदेशक के माध्यम से, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003
2. प्रवर्तन निदेशालय, विशेष निदेशक, मध्य क्षेत्र, दिल्ली के माध्यम से एमटीएनएल बिल्डिंग, प्रथम व द्वितीय तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली – 110002
3. प्रवर्तन निदेशालय, संयुक्त निदेशक, पीजेजेडओ के माध्यम से, जीवन विश्वास बिल्डिंग, प्रथम और द्वितीय तल, ई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स, पट्टो प्लाजा, पणजी, गोवा – 403001
4. प्रवर्तन निदेशालय, उप निदेशक के माध्यम से, रायपुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय, ए-1 ब्लॉक, पुजारी कॉम्प्लेक्स, न्यू धमतरी रोड, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़
5. प्रवर्तन निदेशालय, सहायक निदेशक के माध्यम से, कक्ष सं.17, 10 ए, जाम नगर हाउस, अकबर रोड, नई दिल्ली – 110001

-----उत्तरदातागण

.....
 आवेदकों के अधिवक्ता : श्री अवि सिंह और श्री आयुष भाटिया,
 उत्तरदाता के अधिवक्ता: श्री बी. गोपा कुमार, सहायक सॉलिसिटर जनरल और
 डॉ. सौरभ कुमार पांडे,

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविन्द सिंह चंदेल
सी.ए.वी. आदेश



1. चूंकि दोनों अग्रिम जमानत आवेदन एक ही अपराध और प्रवर्तन निदेशालय में पंजीकृत अपराध/ईसीआईआर मामले से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उन पर एक साथ सुनवाई की जाएगी और उनका निपटारा किया जाएगा।
2. आवेदकों को अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए यह पहला आवेदन है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर में पंजीकृत अपराध/ईसीआईआर संख्या ईसीआईआर/आरपीएसजेडओ/01/2019 के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है (जैसा कि विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है, उक्त ईसीआईआर मामला प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया है) जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षिप्त रूप में 'पीएमएलए') की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध है।
3. संक्षेप में मामला यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा (संक्षेप में एसीबी/ईओडब्ल्यू), रायपुर ने शिव शंकर भट्ट और 26 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 9/2015 दिनांक 12.2.2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें दोनों वर्तमान आवेदकों को भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (ई) और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में आरोपित किया गया था। आरोप है कि संबंधित समय में आवेदक आलोक शुक्ला सार्वजनिक वितरण निगम (नागरिक पूर्ति निगम (संक्षेप में 'एनएएन') में अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे और आवेदक अनिल टुटेजा प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों आवेदक भ्रष्टाचार और आपराधिक षडयंत्र में शामिल थे, जिसके तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू ने कुछ कार्यालयों और आवासों पर छापे मारे और अन्य चीजों के अलावा आवेदक अनिल टुटेजा के निजी सहायक गिरीश शर्मा के कब्जे से एक पेन ड्राइव भी जब्त की गई, जिसमें सरकारी अधिकारियों के बीच लेन-देन का विवरण था, जिससे यह पाया गया कि आवेदक अनिल टुटेजा ने 30.5.2014 से 18.2.2015 और 1.7.2014 से 18.2.2015 की अवधि के दौरान अवैध रूप से 2,21,94,000 रुपये और आवेदक आलोक शुक्ला ने 1,51,43,000 रुपये की राशि प्राप्त की। कथित तौर पर, उस अवधि के दौरान, दोनों



आवेदकों ने धन के अवैध संग्रह की एक प्रणाली को संरक्षण दिया और विकसित किया। यह धनराशि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में तैनात एनएन अधिकारियों और गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा चावल मिल मालिकों से घटिया गुणवत्ता वाला चावल खरीदने के लिए रिश्वत के रूप में एकत्र की गई थी। आरोप है कि आवेदकों के कार्यकाल में लाखों क्विंटल घटिया किस्म का चावल खरीदा गया और करोड़ों रुपए की नियमित वसूली की व्यवस्था विकसित की गई तथा जिलेवार वसूली का व्यवस्थित लेखा-जोखा भी रखा गया और सरकारी आदेशों के विपरीत अंतर-जिला परिवहन भी किया गया। उत्तरदाताओं का आगे का मामला यह है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज गिरीश शर्मा और जीतराम यादव के बयानों से पता चलता है कि एयरलाइन टिकट, टैक्सी भुगतान, अस्पताल भुगतान, विदेशी मुद्रा विनिमय, संस्थान/क्लब भुगतान, एलआईसी भुगतान जैसे कुछ खर्च भी गिरीश शर्मा द्वारा दोनों आवेदकों की ओर से किए गए थे और यह भी पता चलता है कि दोनों आवेदकों ने नान के प्रचलित दिशा-निर्देशों के खिलाफ चावल की आवाजाही की अनुमति दी थी और उन्होंने अनधिकृत रूप से शिव शंकर भट्ट को चावल के परिवहन से संबंधित फाइलें लगाने की अनुमति दी थी, जबकि एमएन प्रसाद राव उन फाइलों से निपटने के लिए अधिकृत थे। दिनांक 13.3.2020 को प्रवर्तन निदेशालय ने आवेदकों को रिकॉर्ड पेश करने के लिए समन जारी किया। इसलिए, उनकी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आवेदकों ने अग्रिम जमानत पर रिहाई के लिए तत्काल आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि दोनों आवेदकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 120बी, 409, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) और 11 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए एसीबी/ईओडब्ल्यू में पंजीकृत अपराध संख्या 9/2015 के संबंध में पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदकों को अग्रिम जमानत देने के आदेश इस न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी.(ए) संख्या 1679/2018 (अनिल टुटेजा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) (अनुलग्नक ए-4) और एम.सी.आर.सी.(ए) संख्या 788/2019 (आलोक शुक्ला बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) (अनुलग्नक ए-4) में क्रमशः दिनांक 29.4.2019



और 16.10.2019 को पारित किए गए थे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 730/2019 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम शिवशंकर भट्ट एवं अन्य) (अनुलग्नक ए-5) में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.9.2019 के आदेश के कारण विधेय अपराध का परीक्षण निष्क्रिय अवस्था में है। किसी भी आवेदक के खिलाफ कोई विभागीय जांच शुरू नहीं की गई है और न ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्रमशः दिनांक 4.7.2016 और 17.7.2016 को आवेदकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। हालाँकि, कोई स्पष्ट कारण न होने पर, पूरक आरोप-पत्र दिनांक 5.12.2019 को दायर किया गया था जब राज्य चुनाव के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने 9.1.2019 को ईसीआईआर मामला दर्ज किया और आवेदकों को मार्च, 2020 में समन प्राप्त हुए, यानी ईसीआईआर मामले के पंजीकरण के 1 वर्ष से अधिक समय बाद ईसीआईआर मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रायपुर स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत किया गया था और उत्तरदाता संख्या 5 द्वारा दिनांक 13.3.2020 को समन जारी किया गया था। इसलिए, उत्तरदाता संख्या 5 ने समन जारी करके दुर्भावनापूर्ण गलत तरीके से कार्य करते हुए राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर अपनी सुविधा के अनुसार अपना अधिकार क्षेत्र चुना है। प्रतिवादी संख्या 5 दुर्भावनापूर्ण तरीके से मामले का अधिकार क्षेत्र दिल्ली स्थानांतरित करना चाहता है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 212 गवाहों का हवाला दिया है, जिनमें से 153 गवाहों की पहले ही जांच हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उद्धृत सभी 25 चावल मिलर्स और सभी 5 ट्रांसपोर्टर्स ने पहले ही ट्रायल कोर्ट में यह बयान दिया है कि नान के किसी भी व्यक्ति द्वारा रिश्वत की मांग नहीं की गई थी और उन्होंने किसी भी व्यक्ति को रिश्वत नहीं दी। इसी तरह, नान के सभी 12 फील्ड कर्मचारियों और नान के सभी 4 मुख्यालय कर्मचारियों ने भी अवैध धन के संग्रह और वितरण के बारे में ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने बयान में इनकार किया है। आगे यह भी कहा गया कि सभी आरोप निराधार, मनगढ़ंत और योग्यता से रहित हैं। किसी भी आवेदक के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। नान घोटाले की घटनाएँ 4-5 साल पुरानी हैं। इसलिए, आवेदकों द्वारा किसी गवाह को प्रभावित करने या किसी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों आवेदक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ काम कर रहे हैं। वे सम्मानित परिवारों से हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह



भी प्रस्तुत किया गया कि इन जमानत आवेदनों के लंबित रहने के दौरान, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है, उन्होंने जांच में पूर्ण सहयोग किया है और कोविड-19 महामारी के दौरान उत्तरवादाताओं द्वारा बुलाए जाने पर दोनों दिल्ली आए और प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे दिल्ली में 3 दिनों तक पूछताछ की और दोनों आवेदकों ने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपने बयान दिए हैं। उत्तरदाताओं का मामला केवल गिरीश शर्मा से जब्त पेन ड्राइव की सामग्री पर आधारित है। किसी भी आवेदक के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। इस अपराध में भी अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान आवेदकों से कोई बरामदगी नहीं की गई। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आवेदकों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा सकता है ।

5. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से अग्रिम जमानत आवेदनों का विरोध किया। सबसे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हरेंद्र सिंह उर्फ हरेंद्र बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय का हवाला देते हुए, आपराधिक अधिनियम विविध आवेदन संख्या 6478/2019 (जमानत) में यह तर्क दिया गया कि आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत तत्काल जमानत आवेदन सीधे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है कि उन्होंने उक्त राहत की मांग करते हुए सत्र न्यायालय से संपर्क क्यों नहीं किया और, इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वर्तमान आवेदन विचारणीय नहीं हैं। इसके अलावा, श्रीमती नलिनी चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 32848 और 32849/2016 में दिनांक 24.4.2014 को पारित निर्णय का हवाला देते हुए, विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान जांच पीएमएलए के तहत धन शोधन के अपराध के खिलाफ की जा रही है और यह कहीं भी जांच, पूछताछ, परीक्षण, अनुसूचित अपराध या किसी अन्य मामले के परीक्षण के किसी भी परिणाम से जुड़ा नहीं है। दोनों मामलों में जांच और कार्यवाही अलग-अलग हैं और किसी भी तरह से एक-दूसरे से जुड़ी नहीं हैं। इसके अलावा, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हसन अली खान, (2011) 10 एससीसी 235 और गौतम कुंडू बनाम मनोज कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, प्रवर्तन निदेशालय, आपराधिक अपील संख्या 1706/2015 के निर्णयों का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि पीएमएलए की धारा 24 के तहत, गैर-संलिप्तता को प्रदर्शित करने का भार मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपित व्यक्ति पर है। इस प्रकार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खुद को निर्दोष



साबित करने और दोषी न होने का दायित्व वर्तमान आवेदकों पर है। इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों का हवाला देते हुए, विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि चूंकि इस मामले में आवेदकों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग एक करोड़ रुपये से अधिक की है, इसलिए आवेदक अग्रिम जमानत का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए गिरीश शर्मा और जीतराम यादव के बयानों के अलावा, पेन ड्राइव से प्राप्त डेटा और गिरीश शर्मा और अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के बीच हुई बातचीत की वॉयस ट्रान्सक्रिप्ट से, जिसे एसीबी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, यह भी स्पष्ट है कि गिरीश शर्मा ने आवेदक अनिल टुटेजा के निर्देशानुसार जनवरी, 2015 के महीने में आवेदक अनिल टुटेजा के बेटे यश टुटेजा को सत्ताईस लाख रुपये की राशि दी थी। इसलिए, दोनों आवेदकों के खिलाफ पर्याप्त तथ्य उपलब्ध हैं। विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि अग्रिम जमानत देना एक असाधारण बात है और केवल अपवादस्वरूप मामलों में ही ऐसा किया जाना चाहिए, जिसमें यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है या उसके खिलाफ कोई तुच्छ मामला दर्ज किया गया है या यह मानने के लिए उचित आधार है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के जमानत पर रहते हुए फरार होने या अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की संभावना नहीं है, ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान मामला भारी मात्रा में धन शोधन से जुड़ा है। इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि अग्रिम जमानत देने के लिए वर्तमान आवेदन को खारिज कर दिया जाए। विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि जांच बहुत महत्वपूर्ण चरण में है और 4 पृष्ठों में की गई विभिन्न प्रविष्टियों और पेन ड्राइव डेटा में उपलब्ध अन्य प्रविष्टियों के साथ-साथ अन्य आपत्तिजनक साक्ष्यों का सत्यापन अभी किया जाना है और वर्तमान आवेदकों की भूमिका स्थापित करने के लिए आगे की जांच की आवश्यकता है। इसलिए, आवेदकों से हिरासत में पूछताछ भी आवश्यक है। मामले को रायपुर के अधिकार क्षेत्र से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध में, विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ईसीआईआर को केवल प्रशासनिक कारणों के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है और इसके लिए कोई रोक नहीं है।

6. उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संबंध में, आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किया:-



1	न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, बरुन चंद्र ठाकुर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2018) 12 एससीसी 119, विनोद कुमार बनाम यूपी राज्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन ऑल 4821, वाई. चंद्रशेखर राव बनाम वाई.वी. कमला कुमारी, 1993 क्रिएलजे 3508, बालन बनाम केरल राज्य, 2004 क्रिएलजे 3427, मोहन लाल बनाम प्रेम चंद, एआईआर 1980 एचपी 36 (एफबी) और मुबारिक बनाम उत्तराखंड राज्य, आपराधिक रिट याचिका संख्या 2059/2018, उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 2.11.2018 के निर्णय में यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों के पास धारा 438 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन से निपटने के लिए समवर्ती क्षेत्राधिकार है और इस बात पर कोई रोक नहीं है कि इस तरह के आवेदन को पहले सत्र न्यायालय और उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना आवश्यक है।
2.	पीएमएलए की धारा 24 के प्रावधान के संबंध में, तत्कालीन वित्त मंत्री के भाषण का हवाला देते हुए, जिन्होंने 17.12.2012 को राज्यसभा में धन शोधन निवारण विधेयक, 2012 पेश किया था (पृष्ठ 435-436 पर), यह प्रस्तुत किया गया था कि सबूत का बोझ केवल अभियुक्त पर होगा जब उसके खिलाफ आरोप तय किया जाता है। इसलिए, इस संबंध में आगे बढ़ाए गए तर्क में कोई सार नहीं है। पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के संबंध में, निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ, (2018) 11 एससीसी 1 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि पीएमएलए की धारा 45 सीआरपीसी की धारा 438 की कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।
3.	पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के संबंध में, निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ, (2018) 11 एससीसी 1 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि पीएमएलए की धारा 45 सीआरपीसी की धारा 438 की कार्यवाही पर



	लागू नहीं होती है। इसके अलावा, सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि आर्थिक अपराधों के मामलों में भी अग्रिम जमानत देने से न तो इंकार किया गया है और न ही इसे किसी अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।
4	हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में, उत्तरदाता /प्रवर्तन निदेशालय किसी भी ठोस सामग्री के साथ एक भी कारण/आधार बताने में पूरी तरह विफल रहा है कि उन्हें आवेदकों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता क्यों है। इस अपराध की जांच 5 साल पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। उस मामले में किसी भी आवेदक से कोई बरामदगी नहीं की गई। गिरीश शर्मा और जीतराम यादव के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। आवेदकों ने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष भी अपने बयान दिए हैं। उन्होंने जांच के दौरान उत्तरदाताओं के साथ पूरा सहयोग किया है। अब इस मामले में ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसके लिए आवेदकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता हो। दोनों आवेदक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वे छत्तीसगढ़ सरकार के साथ काम कर रहे हैं। उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि उन्होंने कभी अभियोजन पक्ष के किसी गवाह को प्रभावित किया हो या किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ की हो। इसलिए, आवेदकों को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना दोहराई गई।
5.	विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल द्वारा संदर्भित नलिनी चिदंबरम मामले (सुप्रा) के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अभियुक्तों



	को जारी किए गए समन की वैधता को चुनौती दी गई थी और दावा किया गया था कि मामला धारा 438 सीआरपीसी के प्रावधान से संबंधित नहीं था। इसलिए, वह मामला वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।
--	---

7. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया है।
8. जहां तक इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों के पास धारा 438 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। मुबारिक के मामले (सुप्रा) में फैसले का हवाला देते हुए और उस पर भरोसा करते हुए, यह न्यायालय पहले ही एमसीआरसीसी (ए) संख्या 918/2019 (रत्नेश सिंह चौहान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) में पारित दिनांक 2.7.2019 के आदेश के अनुसार माना है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ सत्र न्यायालय के पास धारा 438 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन पर विचार करने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र है और किसी भी व्यक्ति को धारा 438 सीआरपीसी के तहत सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करने और आवेदक द्वारा धारा 438 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन को स्थानांतरित करने से रोका नहीं जा सकता है। उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे प्रस्तुत किया गया मामला स्वीकार्य है।
9. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 24 के प्रावधान धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम 2) (15.2.2013 को लागू) द्वारा प्रतिस्थापित होने के पश्चात इस प्रकार होंगे:

“24. सबूत का भार.- इस अधिनियम के तहत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, -

(क) धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण या न्यायालय, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, यह मान लेगा कि अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है; और

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण या न्यायालय यह मान सकता है कि अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है।”

प्रतिस्थापन से पहले धारा 24 निम्नानुसार थी:-



“24. सबूत का भार.- जब किसी व्यक्ति पर धारा 3 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, तो यह साबित करने का भार कि अपराध की आय बेदाग संपत्ति है, अभियुक्त पर होगा।”

10. जैसा कि विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है, पीएमएलए की धारा 24 के प्रावधान में संशोधन के बाद भी, अपनी बेगुनाही साबित करने का भार वर्तमान आवेदकों पर है। इसके विपरीत, आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दलील दी कि आरोप तय होने के बाद ही सबूत पेश करने का भार आवेदकों पर है। इस संबंध में तत्कालीन वित्त मंत्री के भाषण पर भरोसा किया गया, जिन्होंने दिनांक 17.12.2012 को राज्यसभा में धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012 पेश किया था (पृष्ठ 435-436 पर), जिसका अंश नीचे दिया गया है:-

“फिर, सवाल पूछा गया कि ‘आरोपित’ शब्द का उपयोग करके, क्या हम 173(8) के तहत रिपोर्ट के चरण में भी सबूत का भार स्थानांतरित कर रहे हैं। जवाब है: स्पष्ट रूप से, नहीं। 173(8) के तहत, जो दायर किया जाता है वह जांच के बाद एक रिपोर्ट है। दंड प्रक्रिया संहिता में पहली बार ‘आरोप’ शब्द धारा 211 के अंतर्गत आता है, “इस संहिता के अंतर्गत प्रत्येक आरोप में उस अपराध का उल्लेख होगा जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है”। इसलिए, हम धारा 211 की भाषा उधार लेते हैं और कहते हैं, ‘आरोपी’ शब्द को बदलें और कहें ‘जब किसी व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो अदालत धारा 211 के तहत उसके खिलाफ आरोप तय करती है।’ केवल उस चरण में, भार उस पर स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए, मुझे लगता है, इससे यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है।”

11. यह सर्वविदित कानून है कि विधेयक को पेश करने वाले मंत्री का भाषण विधेयक के पीछे विधायी मंशा की व्याख्या करने का एक साधन है। मंत्री के उक्त भाषण पर विचार करने से पता चलता है कि पीएमएलए की धारा 24 के अनुसार, आरोप तय होने के बाद ही सबूत पेश करने का भार आवेदकों पर होगा। इसलिए, मुझे लगता है कि इस संबंध में आवेदकों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क में न्यायोचित है।



12. निकेश ताराचंद शाह मामले (सुप्रा) में पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार माना है:

34. फिर, यह बहुत संभव है कि अनुसूचित अपराध के लिए अभियोजित व्यक्ति 2002 अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियोजित व्यक्ति से अलग हो। श्री एक्स ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पर अनुसूची के भाग ए में निहित किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। अनुसूची के भाग ए के तहत इस अपराध को अंजाम देने में, श्री एक्स को एक निश्चित राशि का भुगतान किया गया होगा। यह धन अंततः श्री वाई के पास पहुंचा, जिन पर अनुसूची के भाग ए के तहत उसी अपराध का आरोप लगाया गया है और उन पर अपराध की आय को अपने कब्जे में रखने का भी आरोप है, जिसे अब वे बेदाग बता रहे हैं। श्री एक्स ने विशेष न्यायालय/उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया। इस तथ्य के बावजूद कि श्री एक्स मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल नहीं हैं, बल्कि केवल अनुसूचित अपराध में शामिल हैं, इस तथ्य के आधार पर कि दोनों अपराधों की सुनवाई एक साथ की जा रही है, श्री एक्स को जमानत देने से इनकार कर दिया जाएगा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध की सुनवाई अनुसूचित अपराध के साथ की जा रही है, जिसके लिए श्री वाई पर अकेले मुकदमा चलाया जा रहा है। यह उदाहरण यह दर्शाएगा कि एक व्यक्ति जिसका मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, उसे भी जमानत देने से इनकार किया जा सकता है, क्योंकि 2002 अधिनियम की धारा 45(1) के तहत दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। साथ ही, श्री ए पर ऐसे अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो अनुसूची के भाग ए के अंतर्गत आता है, लेकिन जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग शामिल नहीं है। ऐसे अपराधों पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, और इस तथ्य के बावजूद कि यह ऊपर दिए गए उदाहरण में दिए गए भाग ए के समान ही अनुसूचित अपराध हो सकता है, यह तथ्य कि उक्त अपराध के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया है, श्री ए को 2002 अधिनियम की धारा 45 में निहित कठोर शर्तों के बिना जमानत मिल सकेगी। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि धारा 45 के लागू होने या न होने पर स्पष्ट रूप से



मनमाने, भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण परिणाम सामने आएंगे और यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि जमानत की प्रक्रिया कठोर, बोझिल, गलत और भेदभावपूर्ण हो जाएगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है जो अनुसूची के भाग ए के तहत अपराध भी है या अनुसूची के भाग ए के तहत अपराध के साथ-साथ 2002 अधिनियम के तहत अपराध भी है। जाहिर है, जमानत देना ऐसी परिस्थिति पर निर्भर करेगा जिसका मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। केवल इसी आधार पर धारा 45 को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है और ऐसी प्रक्रिया प्रदान करता है जो निष्पक्ष या न्यायसंगत नहीं है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 दोनों का उल्लंघन करता है।

42. एक और पहली यह है कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के विपरीत, 2002 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अग्रिम जमानत देने से इंकार करता हो। सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 (पैरा 109, 112 और 117 देखें) में निर्धारित परिस्थितियों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है। इस प्रकार, अग्रिम जमानत उस व्यक्ति को दी जा सकती है जिस पर धन शोधन के अपराध के साथ-साथ अनुसूची के भाग ए के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है, जो पूरे मुकदमे के दौरान जारी रह सकती है। जाहिर है, ऐसी जमानत देने के लिए धारा 45 की शर्तों को पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को धारा 45 की शर्तों को पूरा करने के बाद ही जमानत पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन जहां तक गिरफ्तारी से पहले जमानत का सवाल है, धारा 45 अपनी शर्तों पर लागू नहीं होती। इससे फिर से एक बहुत ही विषम स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर श्री एक्स को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जाती है, जो पूरे मुकदमे के दौरान जारी रहती है, तो अनुसूची के भाग ए और 2002 अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए, ऐसा व्यक्ति धारा 45 की दोहरी शर्तों को पूरा किए बिना जमानत पर बाहर हो जाएगा। हालाँकि, यदि समान परिस्थिति में, श्री वाई पर समान अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन



उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर वे जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो धारा 45 की दो शर्तों को पहले पूरा करना होगा। इससे फिर एक अत्यंत विषम स्थिति उत्पन्न होती है, जो दर्शाती है कि धारा 45 स्पष्ट रूप से मनमाने और अन्यायपूर्ण परिणाम देती है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है।”

13. इसलिए, जैसा कि निकेश ताराचंद शाह मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने माना है, पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान सीआरपीसी की धारा 438 की कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं।
14. सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 में माना है कि अग्रिम जमानत के लिए कोई सख्त फॉर्मूला नहीं है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
15. सुशीला अग्रवाल मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया है:

“124. इसलिए, यह न्यायालय मानता है कि सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख, के.एल. वर्मा, निर्मल जीत जैर, सतपाल सिंह, अद्री धरम दास, एचडीएफसी बैंक, जे.जे. मनन और नरेश कुमार यादव (सुप्रा) में व्यक्त किया गया विचार कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को सीमित अवधि के लिए अग्रिम जमानत देने के लिए बाध्य होना चाहिए या जांच के दौरान प्रतीक्षा करनी चाहिए, ताकि “सामान्य न्यायालय” को “बायपास” न किया जाए या यह कि कुछ प्रकार के गंभीर अपराधों में, अग्रिम जमानत सामान्य रूप से नहीं दी जानी चाहिए – जिसमें आर्थिक अपराध आदि शामिल हैं, अच्छा कानून नहीं है। इसलिए, ये टिप्पणियां – जो यह संकेत देती हैं कि ऐसी समय संबंधी या जांच संबंधी घटना संबंधी शर्तें, अग्रिम जमानत देते समय अनिवार्य रूप से लगाई जानी चाहिए, खारिज कर दी जाती हैं। इसी तरह, म्हेत्रे में यह टिप्पणी की गई है कि “अदालतों को धारा 438 सीआरपीसी के दायरे और दायरे पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, जो विधानमंडल द्वारा परिकल्पित नहीं हैं। न्यायालय कानून की व्याख्या करने की आड़ में उसके प्रावधानों को दोबारा नहीं लिख सकता” यह परिभाषा बहुत



व्यापक है और इसे अच्छा कानून नहीं माना जा सकता। यह कहना एक बात है कि कानून के मामले में, सामान्यतः विशेष शर्तें (धारा 438(2) में उल्लिखित नहीं हैं, धारा 437(3) के साथ पढ़ी जाएं) नहीं लगाई जानी चाहिए; यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि विशेष मामलों में, अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की भूमिका या कुछ विशिष्ट विशेषता को ध्यान में रखते हुए, विशेष शर्तें नहीं लगाई जानी चाहिए। सिबिया में दिया गया निर्णय अपने आप में एक अधिकार है कि ऐसी शर्तें लगाई जा सकती हैं, लेकिन नियमित या सामान्य तरीके से नहीं और ऐसी शर्तें तब एक कठोर "सूत्र" बन जाती हैं जिसका न्यायालयों को पालन करना होगा। इसलिए, न्यायालय अपने विवेक का उपयोग करते हुए, अपराध, विशिष्ट तथ्यों, अपराधी की भूमिका, उससे संबंधित परिस्थितियों, न्याय (या निष्पक्ष जांच) को प्रभावित करने की उसकी संभावना, न्याय से बचने या भागने की संभावना को ध्यान में रखते हुए विशेष शर्तें लगा सकते हैं। ऐसी शर्तें लगाना, मामले दर मामले के आधार पर होगा, और धारा 438 के तहत आवेदन पर विचार करने वाली अदालत द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने पर होगा। निष्कर्ष में, यह माना गया है कि जमानत देते समय धारा 437(2) में बताई गई शर्तें लगाना सामान्य है; इसी तरह, यह शर्त भी सामान्य है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस द्वारा संभावित खोज का मामला बनाए जाने की स्थिति में, जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को खोज में मदद करने के लिए पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है। अन्य शर्तें, जो प्रतिबंधात्मक हैं, अनिवार्य नहीं हैं; न ही ऐसा कोई अपरिवर्तनीय नियम है कि उन्हें आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए या अग्रिम जमानत आदेश एक निश्चित अवधि के लिए होगा, या एफआईआर दर्ज होने तक या धारा 161, सीआरपीसी आदि के तहत किसी भी बयान की रिकॉर्डिंग तक वैध होगा। यदि मामले के तथ्य इसकी मांग करते हैं तो अन्य शर्तें लगाई जा सकती हैं।

16. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने, ऊपर की गई चर्चाओं और पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णयों को पढ़ने के बाद, यह स्पष्ट है कि धारा 438 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन



पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय का समवर्ती क्षेत्राधिकार है और आवेदक द्वारा धारा 438 सीआरपीसी के तहत सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन स्वीकार्य है। जैसा कि निकेश ताराचंद शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह भी स्पष्ट है कि पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान सीआरपीसी की धारा 438 की कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री के भाषण से यह भी स्पष्ट है कि पीएमएलए की धारा 24 के प्रावधान केवल आरोपी के खिलाफ आरोप तय होने के बाद ही लागू होते हैं। जैसा कि सुशीला अग्रवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह भी स्पष्ट है कि आर्थिक अपराध से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं है। वर्तमान मामले में, आरोपित अपराध वर्ष 2014-2015 का है। उक्त मामले में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और किसी भी आवेदक से कोई बरामदगी नहीं की गई है। किसी भी आवेदक के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही उनके खिलाफ कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। 212 में से लगभग 153 गवाहों की पहले ही जांच हो चुकी है। इस तथ्य के बावजूद कि आवेदक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्होंने कभी किसी गवाह को प्रभावित किया या किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ की। उनके खिलाफ वर्ष 2019 में ईसीआईआर मामला दर्ज किया गया था। ईसीआईआर मामले में पहली बार उन्हें मार्च, 2020 में नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने में देरी का कारण नहीं बताया गया है। गिरीश शर्मा और जीतराम यादव के बयानों के आधार पर ही उनके खिलाफ ईसीआईआर मामला दर्ज किया गया है। गिरीश शर्मा से पेन ड्राइव भी जब्त कर ली गई है। दोनों आवेदकों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और प्रवर्तन निदेशालय ने आवेदकों से लगभग 3 दिनों तक पूछताछ की है। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों जरूरी है, यह भी ठीक से नहीं बताया गया है।

17. इस प्रकार, मामले की समग्रता, संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा ऊपर की गई चर्चाओं पर विचार करते हुए, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत का



लाभ देने के लिए इच्छुक हूं। तदनुसार, अग्रिम जमानत देने के लिए दोनों आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

18. यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त अपराध/ईसीआईआर मामले के संबंध में आवेदकों की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित विचारण न्यायालय के गिरफ्तारी अधिकारी/पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रत्येक को दस लाख रुपये की राशि के व्यक्तिगत बांड और पांच लाख रुपये की राशि के दो सक्षम जमानत प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। आवेदक जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे और निम्नलिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन भी करेंगे:

(i) वे मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्य का खुलासा करने से रोका जा सके,

(ii) वे किसी भी तरह से ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई के लिए हानिकारक हो, और

(iii) वे मुकदमे के निपटारे तक उक्त न्यायालय द्वारा दी गई प्रत्येक तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

सही /-
(अरविंद सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।